JPR5-66

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ; जयपुर

(वाणिज्य विभाग)

क्रमांक : जयपुर डिस्काम / अतिमुअ / वा– ।। / एफ4(214)भाग– ।। पे 604

दिनांक 4.5.2002

आदेश

विषय:– घरेलू अघरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूली के लिये रियायती योजना।

1 घरेलू अघरेलू एवं कृषि श्रेणी के अनेक उपभोक्ताओं में निगम की विद्युत बिलों काफी मूल राशि बकाया है तथा उस पर प्रतिमाह विलम्ब सरचार्ज (डी.पी.एस.) भी बढता जा रहा है । यद्यपि निगम ने गत वर्ष इस प्रकार की योजना लागू की थी परन्तु किन्ही कारणो से उपभोक्ता इसका लाभ नही उठा पाये। अत: निगम ने इस बारे में विचार कर ऐसे उपभोक्ताओं से बकाया राशि की शीघ्र वसूली करने हेतु उपभोक्ताओं का प्रोत्साहन करने के लिये यह निर्णय लिया है कि निगम की 31.3.2002 तक की मूल बकाया राशि यदि उपभोक्ता एक मुश्त 31 मई 2002 तक जमा करा देगें तो उनकी डी.पी.एस. / ब्याज की राशि माफ कर दी जावे।

2 यदि उपभोक्ता उपरोक्त बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने में असमर्थ हो तो ऐसे उपभोक्ता को किश्त में जमा करने का विकल्प भी दिया जाएगा । किन्तु किश्तों में जमा कराने पर उनको डी.पी.एस / ब्याज में 75 प्रतिशत छूट ही देय होगी । उपभोक्ता को उपरोक्त प्रकार से आंकी गयी राशि 50 प्रतिशत 31मई, 2002 तक जमा करानी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि को उसे अधिकतम तीन त्रिमासिक किश्तों में द्वारा जमा करानी होगी ।

3 यदि डी.पी.एस. की राशि संबधित लेखों से निकालना संम्भव ना हो तो यह भी निर्णय लिया गया है कि :–

(i) कटे हुए कनेक्शन से ब्याज माफी के अतिरिक्त जब से बकाया चल रहा है (अगस्त 97 के बाद ,क्योंकि पूर्व में डी.पी.एस नहीं लगता था) से कनेक्शन कटने के महिने तक ,जितने माह का समय होता है उतनी प्रतिशत (1 प्रतिशत प्रतिमाह)की बकाया बिल में अतिरिक्त छूट (डी.पीएस के पेटे) देकर बकाया राशि ली जाएगी । उपरोक्त ब्याज एवं डी.पी.एस. में छूट एक मुश्त राशि जमा कराने पर ही देय होगी । किश्तों में जमा कराने पर ब्याज में पूरी छूट के स्थान पर 75 प्रतिशत छूट तथा डी.पी.एस.के लिये एक प्रतिशत प्रतिमाह के स्थान पर 0.75 प्रतिशत प्रति माह ही देय होगी ।

(ii) जिन उपभोक्ताओं की ओर राशि बकाया है ,परन्तु विद्युत सम्बन्ध विच्छेद नहीं है , से अन्तिम बकाया बिल (31.3.2002) में जुलाई 97 के बाद जितने माहों से बकाया चली आ रही है , उसके एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से छूट भुगतान माह तक देते हुए बकाया राशि वसूल की जावे । उपरोक्त छूट एक मुश्त राशि जमा कराने पर देय होगी । किश्तों में जमा कराने पर डी.पी.एस.के लिये उक्त छूट एक प्रतिशत के स्थान पर 0.75 प्रतिशत प्रतिमाह ही देय होगी ।

यह रियायत योजना 6.5.2002 से लागू होकर 31मई, 2002 तक वैद्य रहेगी ।

नोट :–

1) उपरोक्त प्रकार से छूट की गणना करने को स्पष्ट करने के लिये उदाहरणार्थ काल्पनिक प्रकरण मे 1000 रूपये बकाया राशि मानकर संलग्न सारिणी में पूर्ण विवरण दिया जा रहा है । जिससे कि गणना करने में त्रुटि /संशय ना रहे ।
2) इस रियायत योजना के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क/ब्याज की छूट देने के लिये सम्बन्धित सहायक अभियंता संक्षम होगें ।
3) इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिये उपभोक्ता द्वारा यदि बकाया से संबंध में कोई कोर्ट केस विचाराधीन हो तो उसे वापस लेना होगा ।
4) यदि उपभोक्ता योजना के अनुसार समय पर राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा ।
5) इस योजना के अन्दर कटे हुए कनेक्शनों को पुनः चालू करवाना आवश्यक नहीं है । पुनः चालू करने के लिये सामान्य नियम लागू होगें ।
6) यह योजना उन पर लागू नहीं होगी जिन्होंने इसी प्रकार की सन 2000 या 2001 में जारी रियायती योजना में लाभ के लिये था ।
7) यह योजना चोरी या अनियमितता (Malpractice) की राशि के लिये लागू नही होगी ।
8) उपरोक्त रियायती योजना के अन्तर्गत बकाया जमा कराने के लिये उपभोक्ता द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप अनुसार भरकर सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है ।
9) इस योजना की प्रगति के बारे में जिसमें वसूली गई मूल राशि , डी.पी.एस./ब्याज में दी गई छूट , एवं किश्तों में वसूली जाने वाली राशि दर्शायी जायेगी जिसे सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता द्वारा (वृत्त स्तर पर) प्रत्येक सप्ताह मुख्य लेखाधिकारी ,जयपुर डिस्काम को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डा. अशोक सिंधवी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक